Q. No. 5234

परिशिष्ट :–1

माननीय विधायक द्वारा लिखे गये पत्र पर की गई कार्यवाही का विवरण –

1. माननीय विधायक, विधानसभा क्षेत्र, कटनी द्वारा दिनांक 25.02.2013 को निर्माण कार्य कराने के लिये पत्र लिखा गया था, उपरोक्त विद्यालय का पहुँच मार्ग इंदिरा गाँधी वार्ड, नगरपालिका निगम, कटनी में अवैध कालोनी के रूप में दर्ज है जिसका प्रकरण क्र.लो. नि.नि. – 2004–05/150 एवं 360 है। विद्यालय पहुँच मार्ग अवैध कालोनी क्षेत्र के अंतर्गत होने के कारण पहुँच मार्ग का निर्माण नहीं कराया गया, जिसके संबंध में नगरपालिका निगम, कटनी द्वारा पत्र क्र. 7989 दिनांक 06.03.2013 से मान. विधायक महोदय को अवगत कराया गया है।
2. पूर्व पार्षद, इंदिरा गाँधी वार्ड द्वारा दिनांक 05.06.2014 एवं पूर्व महापौर, नगरपालिका निगम, कटनी द्वारा दिनांक 10.09.2014 को प्रश्नाधीन कार्य के संबंध में पत्र लिखा गया था, लेकिन प्रस्तावित पहुँच मार्ग अवैध कालोनी क्षेत्र के अंतर्गत होने के कारण पहुँच मार्ग का निर्माण नहीं कराया गया ।